8402
24-3-14

(3)

न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

अपील नि - 1027 - I/14 प्र.क.

जगदीश मोदी आ. श्री जुगलकिशोर मोदी,
निवासी शमशाबाद जिला विदिशा म.प्र. .... अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन,
व्दारा कलेक्टर आफ स्टांप जिला विदिशा म.प्र.................. उत्तरदाता

आवेदन अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टांप अधिनियम 1899

अधि.न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टांप जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 25/बी/103/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 30.3.2013 जिसकी प्रति डाक व्दारा अपीलार्थी को 12.4.2013 को प्राप्त हुयी, उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील माननीय के समक्ष समयअवधि मे प्रस्तुत की है:-

अपीलाथी की ओर से माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि एक मुख्तारआम पंजीबद्ध कराने हेतु मेसर्स ए.के. शिवहरे एण्ड कंपनी व्दारा पार्टनर अनिल कुमार शिवहरे निवासी गुना व्दारा अपीलार्थी जगदीश मोदी आ. श्री जुगलकिशोर मोदी के पक्ष मे दिनांक 30.3.2010 को उपपंजीयक कार्यालय विदिशा मे विधि अनुसार निर्धारित स्टांप शुल्क के सहित प्रस्तुत किया गया । जिसे उपपंजीयक व्दारा पंजीबद्ध कर उसकी प्रति अपीलार्थी को प्रदाय कर दी गयी ।

यह कि अधिनस्थ न्यायालय व्दारा महालेखागार म.प्र. ग्वालियर के आडिट दल व्दारा अपनी निरीक्षण की अवधि वर्ष 1.4.2009 से 31.3.2011 की कंडिका 5 मे उपपंजीयक कार्यालय विदिशा मे पंजीबद्ध मुख्तारआम क0 136 दिनांक 30.3.2010 पर आक्षेप लिया गया है कि पक्षकार व्दारा कम पंजीयन शुल्क प्रभारित किये जाने से राजस्व की हानि हुयी है। उपपंजीयक ने आडिट आक्षेप के परिप्रेक्ष्य मे दस्तावेज की प्रतिलिपि भेजी गयी । जो मुद्रांक अधि0 की धारा 48 (ख) मे दर्ज की गयी ।

यह कि प्रकरण दर्ज करने के उपरांत दिनांक 29.8.2011 को पक्षकार को आहूत किया गया जिसमे नियत बीस पेशियो से सात पेशियो मे उपस्थित तथा शेष 13 पेशियो मे अनुपस्थित रहे एवं मार्च 13 मे रजिस्टर्ड डाक से सूचनापत्र भेजा गया । अन्तिम पेशी दिनांत 25.3.2013 को अनावेदक उपस्थित हुए । एवं अंतिम अवसर हेतु समय चाहा गया । जो दिया गया एवं प्रकरण 28.3.2013 को नियत किया गया । जिसमे अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.जी. महेश्वरी उपस्थित हुए तथा जबाब प्रस्तुत किया ।

अत: प्रकरण मे अधि0 न्यायालय व्दारा यह आदेश पारित किया गया कि आडिट की जांच उपरांत पाया गया कि दस्तावेज का टाइटल मुख्तारखास दिया गया है एवं दस्तावेज मे लिखित विवरण के अनुसार उक्त दस्तावेज मुख्तारखास की श्रेणी मे आता है। अत: मुख्तारखास पर यथामूल्य अनुसार पंजीयन फीस प्रदाय की जावे। शेष पंजीयन कमी फीस एवं मुद्रांक अधि0 के तहत शास्ती भी अदा की जाये । 30 दिन के अंदर जमा न करने की स्थिति मे भू राजस्व मे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया जाये। अधिनस्थ न्यायालय ने आडिट टीप व्दारा लगाये गये आक्षेप लिया गया कि दस्तावेज मे दर्शायी गयी धरोहर राशि पर पंजीयन शुल्क प्रभारणीय थी जबकि दस्तावेज मात्र 100/- प्रभारित की गयी । कमी पंजीयन शुल्क शासकीय कोष मे जमा करने के निर्देश दिये जाते है । जमा न करने की स्थिति मे भू राजस्व के नियमो के अनुसार राशि वसूल की जायेगी । ऐसा आदेश अधि0

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1027-I/14

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-04-19	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । अत: आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	